

pan>

title: Introduction of the Witness Protection Bill, 2015.

श्री ओम बिरला (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर विधि न्यायालय में साक्षियों के रूप में सूचना प्रदान करने के सभी इच्छुक व्यक्तियों को अनिवार्य संरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide compulsory protection to all persons coming forth to provide information as witnesses in a court of law within the territory of India."

The motion was adopted.

श्री ओम बिरला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

16.04 Â½ hours